फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **भादरा**

...........................**सरकार** .... बनाम.......................**भगवाना आदि**..

किस्म मुकदमा .... **विविध भू.अभिलेख नियम** .... नं. .....09 / 20.07.2018........ सन ....2018...........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
20.07.2018	आज यह प्रकरण तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा चक 10 एन.टी.आर. के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 21 ता 25 तथा मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21 ता 24 में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन नही है। जबकि रिपार्ट पटवारी ग्राम पंचायत नेठराना के काश्तकार सन्तलाल पुत्र उदाराम जाति मेघवाल, सोहनलाल पुत्र जगमाल जाति जाट, लिलुराम पुत्र रूपराम जाति मेघवाल, मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति धाणक, भीमसैन पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट, भागीरथ पुत्र रामचन्द्र जाति गुंसाई साकिन नैठराना के द्वारा शपथ पत्र पेश कर रास्ता को सदामत से चालू बताया है। लेकिन उक्त चालू रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही है। जिसे अंकन करवाने के लिए तहसीलदार भादरा द्वारा अभिशंषा की गई है। हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा को सुना गया। नक्शा मौका व रिकॉर्ड के अनुसार प्रस्तावित रास्ता का रिकार्ड में अंकन नही है। उक्त भमि मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 21 भगवाना पुत्र कालू साकिन नेठराना के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है तथा मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 22 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21 ता 24 कृष्ण पुत्र मनफूल, अमीलाल, विशाल, बुद्धराम पि0 रामरख जाति जाट साकिन बरवाली के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। मौक पर चालू रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही हाने के कारण प्रभावित काश्तकारों क साथ मतभेद होते रहते है। उक्त समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक	

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) ... (जिला-हनुमानगढ़)

10.08.2016 के द्वारा मौके पर चालू रास्ता का सत्यापन करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल किये जाने का प्रावधान है।

हस्तगत प्रकरण में ग्रामीणों के शपथ पत्र, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) भादरा की अभिशंषा से उक्त किलेजात में रास्ता का सदामत से चालू होना साबित है। उक्त रास्ता नेठराना व बरवाली गांव को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। उक्त रास्ता का रिकॉर्ड में अंकन होने से नेठराना व बरवाली के काश्तकारों व आमजन को उपयोगी व सुविधाजनक होगा।अतः 10 एन.टी.आर. के मुरब्बा नम्बर 9 व मुरब्बा नम्बर 10 के उक्त किलो में रास्ता का अंकन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मौके पर चालू रास्ता तथा तहसीलदार भादरा की अभिशंषा के आधार पर चक नम्बर 10 एन.टी.आर. के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 21 ता 25 तथा मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 21 ता 24 में दक्षिण सीमा पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में प्रत्येक किला में 2–2 बिस्वा में रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हे। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

20.7.18

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)